न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2024 अपील (रसद)

GCMS No. 2024/155

श्री मनोहर सिंह पिता श्री गोपाल सिंह उचित मूल्य दुकानदार मजावडा–ए, एवं वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम मोडी, तहसील–वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलाण्ट**

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक जांच दल, जिला रसद कार्यालय, उदयपुर (राज.)

.....**रेस्पोडेंट**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध अपील जिला रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर मुकदमा नंबर 05/2017 निर्णय दिनांक 22.10.2019

उपस्थित– 1. श्री शांतिलाल चपलोत, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्रीमती पिंकी भाटी पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 16-04-2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 18/21 अपील (रसद) अनवान मनोहर बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 12.07.2022 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई। प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरित आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि "प्रार्थी की पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, उदयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में निष्पक्ष रूप से पुनः जांच की जाकर साक्ष्य का खण्डन करते हुए और प्रार्थी को पुनः सुने जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्याय संगत निर्णय पारित किया जावे।"

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से विद्वान पेरोकार सरकार उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

जिला कलक्टर
उदयपुर

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत मजावड़ा, तहसील–वल्लभनगर में उचित मुल्य दुकानदार नियुक्त है। साथ ही अपीलार्थी के पास ग्राम पंचायत मोडी की उचित मूल्य दुकान की अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था भी है। अपीलार्थी द्वारा दोनों उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री का वितरण किया जाता था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था का निरीक्षण दिनांक 13.03.2018 को किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलाण्ट अपनी मूल दुकान मजावड़ा में राशन वितरण का कार्य कर रहा था इसलिए प्रवर्तन निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अपीलाण्ट की गैर मौजुदगी में प्रकरण बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट को कुल 7 बिन्दुओं पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 11.06.2018 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 22.10.2019 को एकतरफा निर्णय पारित कर अपीलाण्ट का लाईसेंस निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया। मात्र पुछताछ के आधार पर 4 उपभोक्ताओं को राशन नियमित रूप से मिलना नहीं बताकर सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। बंद दुकान पर कानून के अनुसार मूल्य सूची बोर्ड लगाना, उस पर राशन संबंधित सम्पूर्ण जानकारी लिखना आवश्यक नहीं है। अपीलाण्ट ने 210 किलो गेहूं, 35.5 किलो चीनी, 17.5 लीटर केरोसिन का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलाण्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–2, 5, 8, 9, 11, 17–सी एवं 18 का उल्लंघन नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 22.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी की वैकल्पिक उचित मूल्य की दुकान, मोड़ी का जनप्रतिनिधियों, स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत किये जाने पर दिनांक 13.03.2018 को निरीक्षण किये जाने पर दुकान बंद पाई गई। दुकान के बाहर दुकान का नाम, मोबाईल नंबर, स्टॉक, मूल्य सूचनाएं एवं पात्र उपभोक्ताओं की सूची नहीं पाई गई। वक्त निरीक्षण 4 उपभोक्ताओं द्वारा बयान दर्ज करवाये गये। जिनके अनुसार उपभोक्ताओं को नियंत्रित दर की सामग्री का वितरण नहीं कर कुल 210 किलो गेहूं, 35.5 किलो चीनी तथा 17.5 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन कर इस सामग्री का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ

जिला कलक्टर
उदयपुर

कमाया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर मे हुई जो उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान से प्राप्त हुई एवं जनप्रतिनिधियो एवं उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतो के आधार पर संयुक्त टीम का गठन कर जांच की गई जिसमें नियमतता पाई गई थी। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि निष्पक्ष रूप से पुनः जांच की जाकर, साक्ष्य का खण्डन करते हुए प्रार्थी को पुनः सुने जाने, साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि जिस वक्त मोडी स्थित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया उस समय वह उचित मूल्य की दुकान मजावडा तहसील वल्लभनगर पर उपस्थित था। माना मीणा, जीवा मीणा, भूरा बागरिया, शंकरलाल बागरिया के नाम से फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया जबकि इन व्यक्यिों द्वारा राशन प्राप्त कर लिये जाने का शपथ पत्र (बयान) भी प्रस्तुत कर दिये है जो पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रकरण मे पुनः जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पुनः जांच करते हुए अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए यदि आवश्यकता हो तो पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 का पुनर्परीक्षण करते हुए नियमानुसार नवीन आदेश पारित करे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर